न्यायालय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना (ढ़ाका), पूर्वी चम्पारण

घोड़ासहन थाना कांड संख्या– 316 ⁄ 19

20.11.19 काराधीन अभियुक्त सूरज कुमार की ओर से दाखिल दिनांक 19. 11.2019 के जमानत आवेदन को चालित करते हुए इनके विद्वान विधिज्ञ श्री सुशील कुमार का कहना है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा कोई अपराध कारित नहीं किए है। इनका यह भी कहना है कि घोड़ासहन थाना कांड संख्या 322 ⁄ 19 के अभियुक्त रामबाबू साह के संस्वीकृति ब्यान के आधार पर इन्हें इस कांड में अभियुक्त बनाया गया है जबकि सूचक द्वारा प्राथमिकी अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है। इनका यह भी कहना है कि इनके पास से कोई लूट का सामान बरामद नहीं हुआ है तथा अभियुक्त दिनांक 14.10.2019 से कारा में है। अतः जमानत पर मुक्त किया जाए।

प्रतिउत्तर में अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुना।

चूंकि प्राथमिकी धारा 392 भा.दं.वि. के तहत अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत हुयी है जो अजमानतीय है तथा संगीन अपराध है। घोड़ासहन थाना कांड संख्या 322 ⁄ 19 के अभियुक्त रामबाबू साह के संस्वीकृति ब्यान के आधार पर इनका नाम आया है तथा अभियुक्त की इस कांड में संलिप्तता प्रतीत होती है। वाद अनुसधान में चल रहा है। तथा अभियुक्त दिनांक 14.10.2019 से कारा में है।

अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन अभियुक्त सूरज कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी
सिकरहना स्थित ढ़ाका, पूर्वी चम्पारण।
दिनांक 20.11.2019